

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक- सि०को०-01/2001 पार्ट IV-70

/ पटना, दिनांक- 9-2-2026

आवश्यक सूचना

विषय- आगामी रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान अपर किउल जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.30 कि०मी० तक नहर संचालन बंद रखने के संबंध में ।

Subject:- Notice for closure of Main Canal 0.00 to 19.30 K.M. under Upper Kuil Reservoir Scheme during upcoming Rabbi Irrigation 2025-26.

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के परिक्षेत्राधीन अपर किउल जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.30 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य कराने हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है ।

अतः अपर किउल जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.30 कि०मी० के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है ।


09/02/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि०को०-01/2001 पार्ट IV-70

/ पटना, दिनांक- 9-2-2026

प्रतिलिपि:- उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी०/ई-मेल के साथ बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनु०- यथावत् ।


09/02/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सि०को०-01/2001 पार्ट IV-70

/ पटना, दिनांक- 9-2-2026

प्रतिलिपि:- जन संपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना की दस प्रति एवं ई-मेल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । कृपया इस सूचना को दो समाचार पत्रों में एक दिन बीचकर दो दिन प्रकाशित कराया जाय ।

अनु०- यथावत् ।



09/02/26

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सिं०को०-01/2001 पार्ट IV- 70

/ पटना, दिनांक- 9-2-26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना/ निदेशक, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना/ आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/ जिलाधिकारी, मुंगेर, जमुई एवं भागलपुर/ अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल-1/3, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मॉनिटरिंग अंचल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।




(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक- सिं०को०-01/2001 पार्ट IV- 70

/ पटना, दिनांक- 9-2-26

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।



(आलोक कुमार)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)